कार्यालय
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

57–हीरानगर, हल्द्वानी। जनपद–नैनीताल दूरभाष संख्या 05946–254351

पत्रॉक 104 / सूचना प्रकाशन / / दिनॉक 12-04-2019

सेवा में,

मैसर्स अनुष्का एडवरटाईजर्स
नियर साई हास्पिटल, मुखानी–हल्द्वानी
जनपद–नैनीताल।

विषयः– विज्ञापन प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया निम्न सूचना को डी0ए0वी0पी0 शासकीय दरों पर छूट के साथ 8x8 सेंटीमीटर के कालम में निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। वन विकास निगम का जी0एस0टी0 नंबर 05AAALU0009MOZG है।

01.दैनिक जागरण, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 13–04–2019
02.हिन्दुस्तान, हल्द्वानी (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 13–04–2019
03.उत्तर उजाला (कुमाऊँ संस्करण) दिनॉक 13–04–2019

भवदीय

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।

लालकुऑ–काठगोदाम रेलवे ट्रैक के किनारे स्थित खडे वृक्ष एवं वन विभाग से प्राप्त जब्ती प्रकाष्ठ/रेता/पत्थर की लौटों के नीलाम के सम्बन्ध में सूचना

उत्तराखण्ड वन विकास निगम के समस्त पंजीकृत/अपंजीकृत क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी हल्द्वानी से प्राप्त तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी के अर्न्तगत लालकुआ रेलवे ट्रैक किनारे स्थित 84 वृक्षों की लौट संख्या 133/2018–19 का सार्वजनिक नीलाम "जहॉ है जैसा है" के आधार पर दिनॉक 25–04–2019 को अपरान्ह 2:00 बजे से लालकुऑ स्थित डिपो संख्या–01 के नीलाम हाल में सम्पन्न किया जायेगा। लौट की विक्रय सूची लालकुऑ डिपो संख्या–01 से प्राप्त की जा सकती है। अपंजीकृत क्रेता धनराशि रूपया 11800.00 गेटमनी जमा कर नीलाम में भाग ले सकते है।

खडे वृक्षों के नीलाम के पश्चात् तराई केन्द्रीय वन प्रभाग हल्द्वानी, तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी एवं हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी के जब्ती प्रकाष्ठ (08 लौट)/रेता (4254.00 कुण्टल)/पत्थर (40.00 कुण्टल) की लौटों का (जहॉ है जैसा है के आधार पर) का सार्वजनिक नीलाम सम्पन्न किया जायेगा।

विक्रय सूची वेबसाइट– uafdc.in पर भी उपलब्ध है।

दूरभाष संख्या–हल्द्वानी (05946–254351)

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी

पत्रॉक 104 /उक्तदिनॉकित

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01.प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
02.अपर प्रबन्ध निदेशक (कु0मं0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
03.क्षेत्रीय प्रबन्धक (कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी।
04.प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी/तराई केन्द्रीय/हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
04.प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पूर्वी हल्द्वानी।
05.समस्त प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम।
06.डिपो अधिकारी, लालकुऑ डिपो संख्या–01 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
07.नोटिस बोर्ड।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, हल्द्वानी।

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्ते

1. खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहॉ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।

2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-

(i) नीलाम/निविदा- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रूपया 11800.00 (दस हजार रूपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रूपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरूद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओ की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्तम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरूद्ध समायोजित की जा सकेगी।

3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

(i) व्यापार कर खाता संख्या प्रमाण प्रमाण पत्र (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iv) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।

4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भॉति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लेवें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।

5. (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगत के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।

(ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।

(iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

(iv) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।

6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।

7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।

8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।

(क्रमशः 02 पर)

9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमन्य होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणो का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्राफ्ट/पे–आर्डर **RTGS/NEFT/E-Payment** द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रू0 3000/– नगद जमा हो सकते है।

11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यादेश प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यादेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यादेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।

12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रू0 100/– के स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्ते भी अनुबन्ध का भाग होगीं।

13. यदि क्रेता कार्यादेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनो के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरूद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षो का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कही भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षो एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसक अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

15. लौट के क्रेता को वृक्षो का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षो से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षो के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगीं तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगीं।

16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओ का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।

17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगीं। निकासी रवन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगीं। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।

(क्रमशः 03 पर)

18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा–निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लौट (जॉब) के सभी चिन्हित वृक्षो का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिन्ह लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनो का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लौट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनो में भी क्रेता लौट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छपे वृक्षो एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

19. लौट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमो एवं प्रक्रियाओ का पालन करना होगा।

20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू–राजस्व के रूप में की जा सकती है।

21. लौट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।

22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित **"क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तराखण्ड वन विकास निगम"** पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
हल्द्वानी।

	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U	S	F	U		
[illegible] खड़ा																		5		2
[illegible] खड़ा									02											2
[illegible] खड़ा																				1
[illegible] खड़ा						02			02			03			03			2		2
[illegible] खड़ा						01			02									2		
[illegible] खड़ा						02			01											03
[illegible] खड़ा									02											02
[illegible] खड़ा						02			03									1		07
[illegible] खड़ा																		01		01
[illegible] खड़ा																				01
[illegible] खड़ा			01			06														09
[illegible] खड़ा												01								01
[illegible] खड़ा						02						01								03
[illegible] खड़ा						03														03
[illegible] खड़ा			01			01														02
[illegible] खड़ा						02														02
कुल कुओं का योग			02			36			14			05			03	01		2		24

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो लालकुआं डिपो संख्या–1

विक्रय सूची सी–1 जब्ती प्रकाष्ठ हल्द्वानी वन प्रभाग 25.04.2019

क्र0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विभाग की लौट संख्या	वन प्रभाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ	प्रजाति	नग	आयतन (घ0मी0)	प्रकाष्ठ जहाँ रखा है,मौके पर जैसा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	835/18-19	53/18-19	हल्द्वानी	नन्धौर	04/नन्धौर/2009–10	साल	6	0.734	चोरगलिया वन परिसर
					03/नन्धौर/2012–13	साल	5	0.729	
						योग	11	1.463	
2	836/18-19	54/18-19	हल्द्वानी	नन्धौर	04/नन्धौर/2009–10	साल	2	0.186	चोरगलिया वन परिसर
					03/नन्धौर/2012–13	साल	10	1.722	
					गिरे उखड़े वृक्ष से प्राप्त साल प्रकाष्ठ	साल	5	0.3784	
						योग	17	2.2864	

1– लॉट का प्रकाष्ठ मौके पर कर्मचारी बतलायेगा।

2– प्रकाष्ठ की नपत छाल सहित है, प्रकाष्ठ की नपत में अन्तर हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3– प्रकाष्ठ खुले आसमान के नीचे पड़ा होने के कारण छतिग्रस्त हो रहा है।

4– प्रकाष्ठ जहाँ है जैसा है उसी स्थिति में लेना होगा।

डिपो अधिकारी
लालकुआं डिपो संख्या–1
डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
डिपो सं० 1, लालकुआं.

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रकाष्ठ विक्रय डिपो लालकुआं डिपो संख्या–1

विक्रय सूची सी–1 जब्ती प्रकाष्ठ तराई पूर्वी वन प्रभाग 25.04.2019

क्र0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विभाग की लौट संख्या	वन प्रभाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ	प्रजाति	नग	आयतन (घ0मी0)	प्रकाष्ठ जहाँ रखा है, मौके पर जैसा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	837/18-19	138/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	15,4,10,13/गौला/2018-19 88,91,92,93,94,96,100,109, 64,115,116,118,126,129,84,138,141, 142,159/गौला/2017-18	रेता		644 कु०	गौला राजि परिसर
2	838/18-19	139/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	171,172,173,174,175,176,178,192,200,204,205,208,209 ,219,223,228,230,231,233,234,238/गौला/2017-18	रेता		1260 कु०	गौला राजि परिसर
3	839/18-19	140/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	51,53,57,59,62,73,111,112,102,106,119,130,133,135,165,224,235,237,240,252/गौला/2017-18	रेता		888 कु०	गौला राजि परिसर
4	840/18-19	141/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	17,1,8/2018-19 ,105,184,191,196,213,226,90,150,155, 164,214/2017-18	रेता		853 कु०	डौली राजि परिसर
5	841/18-19	142/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	19,22/2018-19 203,221/2017-18	रेता		609 कु०	बागजाला राजि परिसर
6	842/18-19	143/2018-19	तराई पूर्वी	गौला	18/गौला/2017-18	पत्थर		40 कु०	बागजाला राजि परिसर
7	1021/18-19	66/18-19	तराई पूर्वी	डौली	55/डौली/2012-13	शीशम	7	1.5277	बौड़खत्ता वन परिसर
					03/डौली/2011-12	सागौन	8	0.585	बौड़खत्ता वन परिसर
					मार्च 2009 में व0वि0भ0 के जीर्णोद्वार के लिये कराये गये साल प्रकाष्ठ चिरान से प्राप्त	साल (सोख्ता)		10 कु०	बौड़खत्ता वन परिसर
					आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	सिल्वर ओक	6	0.3782	लालकुआ वन परिसर
					23/डौली/2012-13	यू०के०	3	0.0146	बौड़खत्ता वन परिसर
					आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	यू०के०	7	0.6763	लालकुआ वन परिसर
					आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	यू०के०	5	1.106	तिलियापुर वन परिसर
					आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	यू०के०	3	0.07	लालकुआ वन परिसर
					17/डौली/2008-09	सोख्ता		15 कु०	इमलीघाट वन परिसर
						योग	39	4.3578	
								25 कु०	

क्र० सं०	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विभाग की लौट संख्या	वन प्रभाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ	प्रजाति	नग	आयतन (घ०मी०)	प्रकाष्ठ जहाँ रखा है, मौके पर जैसा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8	1022/18-19	67/18-19	तराई पूर्वी	डौली	18/डौली/12-13	शीशम	18	2.198	लालकुआ वन परिसर
					18/डौली/12-13	सागौन	5	0.532	लालकुआ वन परिसर
					18/डौली/12-13	हल्दू	5	0.779	लालकुआ वन परिसर
					18/डौली/12-13	कोकाट	7	1.089	लालकुआ वन परिसर
					18/डौली/12-13	सोख्ता		15 कु०	बौड़खत्ता वन परिसर
					व०वि०भ० के फर्नीचर हेतु चिरान के गये शीशम प्रकाष्ठ से प्राप्त	सोख्ता		.50 कु०	इमलीघाट वन परिसर
					20/डौली/11-12	सोख्ता		5 कु०	इमलीघाट वन परिसर
					14/डौली/11-12	सोख्ता		5 कु०	बौड़खत्ता वन परिसर
						योग	35	4.598	
								25.5 कु०	
9	1023/18-19	68/18-19	तराई पूर्वी	डौली	26/डौली/14-15	शीशम	16	1.446	इमलीघाट वन परिसर
					26/डौली/14-15	सागौन	5	0.182	इमलीघाट वन परिसर
					26/डौली/14-15	सैन	4	0.374	इमलीघाट वन परिसर
					26/डौली/14-15	सोख्ता		66 कु०	तिलियापुर वन परिसर
						योग	25	2.002	
								66 कु०	
10	1024/18-19	158/18-19	तराई पूर्वी	किशनपुर	आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	शीशम	19	2.725	राजि परिसर
11	1025/18-19	159/18-19	तराई पूर्वी	किशनपुर	आँधी से उखड़े वृक्ष से प्राप्त	सागौन	42	7.292	राजि परिसर

1— लॉट का प्रकाष्ठ मौके पर कर्मचारी बतलायेगा।
2— प्रकाष्ठ की नपत छाल सहित है, प्रकाष्ठ की नपत में अन्तर हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
3— प्रकाष्ठ खुले आसमान के नीचे पडा होने के कारण छतिग्रस्त हो रहा है।
4— प्रकाष्ठ जहाँ है जैसा है उसी स्थिति में लेना होगा।

डिपो अधिकारी
लालकुआं डिपो प्रभारी
डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
डिपो सं० 1, लालकुआं.

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी
प्रकाष्ठ विक्रय डिपो लालकुआं डिपो संख्या–1

विक्रय सूची सी–1 जब्ती प्रकाष्ठ तराई केन्द्रीय वन प्रभाग 25.04.2019

क्र0 सं0	वन विकास निगम की लौट संख्या	वन विभाग की लौट संख्या	वन प्रभाग	राजि का नाम	रेंज केस संख्या / जब्ती प्रकाष्ठ	प्रजाति	नग	आयतन (घ0मी0)	प्रकाष्ठ जहाँ रखा है,मौके पर जैसा है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	834/18-19	227/18-19	तराई केन्द्रीय	रुद्रपुर		यू०के०	18	2.0376	बाजपुर बरहैनी मार्ग पर सड़क के पास विधुत लाईन पर यू०के० खतरनाक वृक्ष से प्राप्त प्रकाष्ठ

1– लॉट का प्रकाष्ठ मौके पर कर्मचारी बतलायेगा।
2– प्रकाष्ठ की नपत छाल सहित है, प्रकाष्ठ की नपत में अन्तर हेतु विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
3– प्रकाष्ठ खुले आसमान के नीचे पडा होने के कारण छतिग्रस्त हो रहा है।
4– प्रकाष्ठ जहाँ है जैसा है उसी स्थिति में लेना होगा।

डिपो अधिकारी
लालकुआं डिपो संख्या–1
डिपो अधिकारी
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
डिपो सं॰ 1, लालकुआं.